फाइल संख्या: 26-11/53/2023-एनए-डीजीएस

दिनांक: 05.12.2023

नौमनि आदेश संख्या: 16/2023

विषय: 1988 के संबंधित प्रोटोकॉल द्वारा यथा आशोधित रूप में समुद्र में जीवन रक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1974 में संशोधन तथा इनकी प्रयोज्यता – संबंधी।

जबकि, भारत सरकार ने समुद्र में जीवन रक्षा हेतु अर्त्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1974 का अनुसमर्थन किया है और कन्वेन्शन 25 मई, 1980 को परिग्रहण के माध्यम से प्रवृत्त हुआ। 1988 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा आशोधित कन्वेन्शन परिग्रहण के माध्यम से दिनांक 22 नवंबर 2000 को प्रवृत्त हुआ। कन्वेन्शन के अनुच्छेद 1 में सरकार की सामान्य बाध्यकारिता संबंधी अनिवार्यता है कि वह कन्वेन्शन को लागू करने के लिए जो भी उपाय आवश्यक हों वे करे।

जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 यथा संशोधित में कन्वेन्शन को शामिल किया गया है और इसे 'सुरक्षा कन्वेन्शन' के रूप में धारा 3 (37) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि समय-समय पर यथा संशोधित समुद्र में जीवन रक्षा कन्वेन्शन पर दिनांक 1 नवंबर 1974 को लंदन में हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा, कन्वेन्शन तथा समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों में दर्शाए गए कोड प्रवृत्त हैं और जलयानों पर लागू हैं।

जबकि, समस्त भारतीय एवं विदेशी ध्वज वाले जलयानों पर सोलास कन्वेन्शन के अंतर्गत विभि न्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन हेतु वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, भाग 9 – सुरक्षा, धारा 283 से 309 में विधायी प्रावधान और शक्तियां दी गई हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधि नियम, खंड 284 और 299 बी में कन्वेन्शन के अनुपालन के प्रयोजन से पोतों के निर्माण और सर्वेक्षण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 436 (1) और (2) में प्रवर्तन प्रावधान दिए गए हैं।

जबकि, सरकार ने वाणिज्य पोत परिहवन (यात्री पोतों का निर्माण और सर्वेक्षण) नियम, 1981 और वाणिज्य पोत परिवहन (कार्गो पोत निर्माण और सर्वेक्षण) नियम, 1991 जारी किए हैं जो कन्वेन्शन को प्रवृत्त किए जाने हेतु हैं। सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिनमें जलयानों के निर्माण, सर्वेक्षण और प्रमाणन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा, 'प्रशासन की संतुष्टि' पर दिशानिर्देश दिनांक 09.11.2023 की वापोप सूचना संख्या 15/2023 को जारी करके दिए गए हैं।

जबकि, दिनांक 26 दिसंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) को अधिसूचित किया गया था और बताए अनुसार, हर आरओ के साथ समझौता किया गया था कि वे कन्वेन्शन के अनुसार सर्वेक्षण और प्रमाणन करेंगे।

....2

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आईएमओ ने समय-समय पर कन्वेन्शन में कई संशोधन किए हैं जो कि इस आदेश के अनुलग्नक-1 पर संलग्न हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधि नियम में यथा परिभाषित रूप से कन्वेन्शन के ये संशोधन पहले से ही प्रवृत्त हैं और ये भारतीय जलयानों पर लागू हैं।

इसलिए हितधारियों से अपेक्षा है कि वे इस आदेश द्वारा समुद्र में जीवन रक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन को तथा अनिवार्य कोडों को पूरी तरह से प्रवृत्त करने के लिए प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करें।

(श्याम जगन्नाथन)
नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

नौमनि की वैबसाइट के माध्यम से समस्त हितधारी

(अस्वीकरण- हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।)